प्रेस विज्ञप्ति

25.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने 24.08.2026 को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में स्थित वस्तुओं/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग व हस्तांतरण से संबंधित 11 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की है; ये धाराएं पीएमएलए, 2002 के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (अनुसूचित अपराध) हैं। अभियोजक एजेंसी का आरोप है कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति या प्राप्ति के, जाली चालानों और फर्जी ई-वे बिलों के आधार पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और उसे आगे बढ़ाया, जिससे सरकारी खजाने को 27.02 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ। आगे यह भी बताया गया कि उस कंपनी ने पहले से सोची-समझी योजना के तहत नकली 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' पाने और इस तरह सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाने के इरादे से जाली बिल्टियाँ (ट्रांसपोर्ट रसीदें) तैयार की थीं। जाँच से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, उस कंपनी ने अस्तित्वहीन और फर्जी कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से लगभग 10.28 करोड़ रुपये का नकली 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' लिया और आगे पास किया। साथ ही, जिन कंपनियों को इसका फायदा मिला, उनसे मिले पैसे उसी दिन ऐसी ही फर्जी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए गए; यह पैसा कई खातों के जाल से घुमाकर आखिर में नकद निकाल लिया गया।

तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया और लाभार्थियों सहित प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिनसे यह खुलासा हुआ है कि फर्जी आईटीसी (आइटीसी) का नेटवर्क ऐसी कई अन्य इकाइयों तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त, 3.80 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी के साथ-साथ अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद कर जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।